न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –58 / 2021
आर.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2021 / 101

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेण्ट**
मांगीलाल टाक पुत्र रामजीवण टाक जाति माली निवासी चेनार तहसील व जिला नागौर राजस्थान		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर।

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री गणपतराज ।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां।

निर्णय **दिनांक** 20-12-2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा मुकदमा नम्बर 146 / 2020 सरकार बनाम मांगीलाल टाक अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 05.01.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 27.07.2021 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ मयाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्टस् ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 05.01.2021 को अपीलांट मातहत न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ व जवाब मय दस्तावेज व साक्ष्य सबूत के पेश करने हेतु मातहत न्यायालय के समक्ष निवेदन किया तथा कथन किया कि उक्त प्रकरण से संबंधित खसरा नम्बर 760 ग्राम हरिमा में अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण किया हुआ नही हैं, आज से लगभग 36 साल पूर्व ही उक्त स्थान गैर मुमकिन रास्ता का नाप चौप तहसील कार्यालय स्तर पर हो चुका है और उस समय इस प्रकार के प्रकरण में अपीलांट के खिलाफ शिकायत करने वाले लोग झुठे पाये गये और अपीलांट का निर्माण व कब्जा आदि सही पाये गये और प्रकरण खारिज किया गया और उसी समय के फैसले अनुसार ही अपीलांट आज भी मौके पर कायम हैं, अपीलांट ने कोई रास्ते पर अतिकमण नही किया हैं, मौके पर रास्ता चालू हैं, अपीलांट द्वारा रास्ता पर किसी प्रकार का कब्जा या अतिकमण किया हुआ नही है।

अधीनस्थ न्यायालय मौका स्थिति का नाप चौप टीम गठित करवाकर इस तथ्य की पुष्टि कर सकते है। 36 वर्ष पूर्व निपटाये गये प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने की भी कार्यवाही करने का निवेदन किया व शिकायतकर्ता बाबुलाल पुत्र किशनलाल वगैराह निवासी चेनार द्वारा अपीलांट की बार बार झुठी व मनगढत तरीके से जानबूझकर परेशान करने की नियत से शिकायत करने के तथ्य भी प्रकट कर दिये तथा कथन किया कि दिनांक 10.08.2020 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब के कार्यालय [illegible] राहत व न्याय प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र भी अपीलांट ने पेश किया था, जिस [illegible] अब [illegible] कोई कार्यवाही नही हुई है तथा उक्त कार्यवाही हाजा में दस्तावेजी सा[illegible] हेतु 15 दिवस का [illegible] दिये जाने की प्रार्थना की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट [illegible] कोई अवसर तक नही [illegible] एवं मातहत न्यायालय द्वारा मौखिक में प्रार्थी [illegible] कर लिया गया व प्रार्थी [illegible] क्षर खाली आदेशिका पर करवा लिये। अपीलांट भी मातहत न्यायालय से संतुष्ट होकर अपने घर आ गया व अपीलांट को यह कहा गया कि आपके खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप कर दी जावेगी, तब अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 17:44:11 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

अचानक ही दिनांक 13.07.2021 को पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 05.01.2021 को ही बेदखली व 32 रूपये जुर्माना के आदेश कर दिये गये थे, तब अपीलांट भौचक्का रह गया तथा तभी अपीलांट को आदेश जेर अपील की सर्वप्रथम जानकारी हुई। चूंकि वर्तमान में कोविड–19 वैश्विक महामारी की दूसरी लहर के चलते राज्यव्यापी तालाबंदी की गई व इसके मध्यनजर न्यायिक कार्य स्थगित रहा तथा यातायात के साधन भी प्रभावित रहे, इसके चलते अपीलांट पूर्व में कभी अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में पैरवी हेतु भी नही गया था। अब निर्णय जेर अपील की जानकारी होते ही अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश जेर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश कर प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त कर यह अपील जानकारी से अंदर मियाद होने का कथन करते हुए अपील अपीलांट पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन कर अपील अपीलांट जानकारी से अंदर मियाद शुमार किये जाने का आदेश प्रदान करावे। राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से खारिज करने का निवेदन किया। अपीलांट् के अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विश्वास किया जाकर न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस में कथन किया है कि अपीलाधीन निर्णय, अवैध, विधि विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने के अवसर दिए बगैर एवं उनको रेकर्ड पर लिए बगैर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है और अपीलान्ट के पीठ पिछे बाले बाले ही अपीलाधीन आदेश पारित किये जो कि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ से साबित है जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से भी अपीलाधिन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.01.2021 को उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया तथा साथ के साथ जवाब प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय की मांग की किन्तु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 05.01.2021 को बाले बाले ही अपीलान्ट की जानकारी के बिना यांत्रिक (साइकलोस्टाइल) से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो नैसर्गिक एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित जाकर किया गया जो काबिल निरस्त किया जाने योग्य है।

अपीलाधीन प्रकरण में अपीलान्ट का खसरा संख्या 760 रास्ते की भूमि पर कब्जा कास्त नही है और न ही रास्ते की किसी भू भाग पर अपीलान्ट का कब्जा रहा। अपीलान्ट के खेत खसरा संख्या 787, 788 खातेदारी कब्जे की भूमि रही है जिस पर अपीलान्ट पिछले 40 वर्षो से भी ज्यादा समय से कदीमी रूप से खातेदार के में कास्त कर रहा है तथा अपने खातेदारी के खेताय में बड़ेर के समय से पिछले लगभग 50 वर्षो से भी ज्यादा समय से ढाणी बनाकर रहवास व निवास कर रहे है। अपीलान्ट के द्वारा अपने खातेदारी के खेताय की पिछले 40वर्षो से भी ज्यादा समय से सीमाओ में परिवर्तन नही किया गया है।

अपीलान्ट के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 788 के उतरी व पश्चिम माठ सींव पर चिपते ही अपीलान्ट की बडेर के समय से पिछले लगभग 50 वर्षो से भी ज्यादा समय से ढाणी एवं बाड़ा बना हुआ है तथा उससे उतर–दिशा में मौके पर आज दिन भी रास्ता चलता है जिससे भी साबित होता है कि अपीलान्ट द्वारा अपने खातेदारी खसरा संख्या 787 तथा 788 की खातेदारी भी भूमि पर काबिज है तथा खसरा संख्या 760 रास्ते की एक इन्च भूमि पर कब्जा अथवा अतिक्रमण नही किया गया है इन तथ्यो के समर्थन में मौके [illegible] एवं मौके के मौतबिरान घनश्याम, लिच्छूराम, तथा रणवीर के शपथ पत्र भी साथ [illegible] प्रस्तुत है। अपितु खसरा संख्या 773 के खातेदार बाबूलाल तथा हुक्मीच[illegible] की भूमि लगभग 16फुट की चौड़ाई तक अपने खेत में शामिल कर अतिक्रमण [illegible] किया हुआ है। इन तमाम तथ्यो को अधिनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 17:44:11 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय से नोटिस मिलने के पश्चात अपीलान्ट ने तहसीलदार नागौर को अपीलान्ट के खेत खसरा संख्या 788, 787 के सीमाज्ञान करवाने बाबत् आवेदन पेश किया गया किन्तु तहसीलदार नागौर द्वारा अपीलान्ट के आवेदन पर किसी प्रकार की सुनवाई नही की और न ही खसरा संख्या 788, 787 के सीमाज्ञान बाबत आदेश पारित किया गया अपीतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का हरीमा द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में जानकारी के बिना व मौके पर आये बिना अपीलान्ट का खसरासंख्या 760 रास्ते की भुमि पर निवास (मकान) व बाड़े के अतिक्रमण किये जाने व अतिक्रमण हटाये जाने की गलत एवं मिथ्या रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर दी जबकि अपीलान्ट का बडेर के समय से बना मकान व बाड़ा अपनी खातेदारी की भूमि में स्थित है जिस कारण भी अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का हरिमा द्वारा दिनांक 24.12.2021 की जो मौका रिपोर्ट पेश कि उसको प्रथम दृष्टया देखने से स्पष्ट होता है कि पटवारी हल्का हरिमा द्वारा खसरा संख्या 787, 788 तथा खसरा संख्या 773 का नाप चौप किसी मुस्तकिल बिन्दु (स्थायी निर्माण) अथवा कांकड मुटाम से नही किया है और न ही पटवारी हल्का हरिमा एवं आर. आई भदाणा मौके पर अपीलान्ट के खेत पर आये जबकि मौके पर खसरा संख्या 787 के चिपते ही पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 785 तथा खसरा संख्या 783 मे मौके पर पक्की ढाणीयां बनी हुई है जिसका राजस्व नक्शे में भी इन्द्राज किया हुआ है। पटवारी हल्का एवं आर.आई. भदाणा द्वारा जो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मौके की जो मौका एवं नाप चौप रिपोर्ट पेश की उस पर भी अपीलान्ट अथवा मौके पर किसी मौतबिरान के हस्ताक्षर नही किये गये है जिससे भी प्रथम दृष्टया साबित होता हैकि पटवार हल्का एवं आर.आई भदाणा द्वारा जो मौका रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है वह शिकायत कर्ता बाबूलाल एवं हुक्मीचंद वगैराह के प्रभाव में आकर मौके पर आये बिना ही तहसील कार्यालय में बैठकर मौके की झूठी रिर्पोट एवं अस्पष्ट रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की जो विश्वास करने योग्य नही एवं काबिल खारिज योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शे में पटवारी हल्का द्वारा यह कही भी अंकन नही किया गया कि अपीलान्ट ने किस दिशा में कितने भू भाग पर अतिक्रमण किया है और न ही अपीलान्ट का कुल कितने खातेदारी की भूमि पर कब्जा मौके पर है और खसरा संख्या 773 के खातेदार का मौके पर कितनी भूमि पर कब्जा है। पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 773 के खातेदार की केवल मात्र शिकायत पर एवं खसरा संख्या 773 के खातेदार के प्रभाव में आकर एवं उससे मिलावट कर अपीलान्ट के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत झूठी कार्यवाही करने हेतु दिनांक 24.12.2020 की मौका रिपोर्ट मिथ्या एवं गलत आधारो पर तैयार की है।

अपीलान्ट के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 787, 788 में अपीलान्ट के बडेर के समय से मकान व बाड़ा बने हुए है न कि संवत 2077 का कोई नया निर्माण नही है। अपीलान्ट के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 788, 787 में बने मकान व बाड़े को तोड़कर अपीलान्ट को बेदखल किये जाने अपीलान्ट साथ विधि के विपरित जाकर किये जाने के समान होगा जिसकी अनुमति विधिक रूपसे नही दी सकती। अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि बने मकान व बाड़े को अतिक्रमण की श्रेणी मानकर हटाने से अपीलान्ट को भारी आर्थिक व मानसिक क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में नही हो सकती।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 28.12.2020 प्रकरण दर्ज कर आगामी सुनवाई हेतु दिनाक 05.01.2021 [illegible] किया जिस पर अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अप[illegible] कर साक्ष्य हेतु 15 दिवस का अवसर मागा किन्तु अधिनस्थ न्यायालय [illegible] अवसर प्रदान किये बगैर प्रकरण का निस्तारण दिनांक 05.01.2021 [illegible] एवं न्याय संगत नही होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 17:44:11 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अत्यत ही जल्दबाजी एवं हड़बड़ी रखते हुए निर्णय पारित किया है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को न तो साक्ष्य व सनुवाई का

कलक्टर, नागौर

अवसर दिया गया और मात्र जल्दबाजी पूर्वक अपीलान्ट को अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि में बने बडेर के समय से बनी ढाणी एवं बाडे से बेदखल किये जाने के आदेश पारित करने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निणय दिनांक 05.01.2021 जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या–146 / 2020 में तहसीलदार नागौर द्वारा पारित किया गया है, को अपास्त करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि पर स्वंय का कोई अतिकमण नहीं होने तथा 36 वर्ष पूर्व उक्त स्थान गैमु. रास्ता का नाप चौप तहसील कार्यालय स्तर से होने पर हमारे निर्माण व कब्जा आदि सही पाये गये और प्रकरण खारिज किया गया और उसी समय के फैसले अनुसार ही कायम है। मौके पर रास्ता चालू है। आप चाहे तो मौका स्थिति का नाप चौप टीम गठित करवाकर करवा सकते है। 36 वर्ष पूर्व के प्रकरण में हुई कार्यवाही व निपटारा की अब मैं प्रमाणित प्रतियां लेकर साक्ष्य सहित जबाब पेश करने के लिए 15 दिवस का समय चाहिए। बाबूलाल निवासी चेनार द्वारा जानबूझकर परेशान करने की नियत से शिकायते की जा रही है, जिसके लिए मैने 10.08.2020 को आपके कार्यालय में खेतों का सीमाज्ञान करवाकर राहत व न्याय प्रदान करने बाबत भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अपीलान्ट के उक्त कथनों के संबंध में निवेदन है कि अपीलान्ट द्वारा 36 वर्ष पूर्व उक्त गैर मुमकिन रास्ता का नाप चौप के संबंध में हस्तगत अपील के साथ भी कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किये है। इसके अतिरिक्त 36 वर्ष पूर्व की नाप चौप रिपोर्ट का वर्तमान अतिकमण की कार्यवाही से किसी प्रकार से कोई संबंध में नही हो सकता है, तत्समय अर्थात 36 वर्ष पूर्व यदि कोई अतिकमण नहीं रहा था, तो उसके आधार पर अब वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा कोई अतिकमण नहीं किया गया है, यह तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अपीलान्ट द्वारा पटवारी हरीमा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम हरीमा के खसरा नम्बर 760 गैर मुमकिन रास्ते की 0.18 बीघा भूमि पर बाड़ा व मकान बनाकर अतिकमण किया है, जिस पर सन्देह का कोई कारण उपस्थित नहीं होने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अधिनस्थ तहसीलदार नागौर के समक्ष पटवारी हरिमा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 24.12.2020 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम हरीमा के खसरा नमबर 760 रकबा 0.18 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि पर संवत् 2077 में बाड़ा व मकान बनाकर कर नाजायज कब्जा करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को तारीख पेशी 05.01.2021 का नोटिस जारी किया। तारीख पेशी 05.01.2021 को अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा जबाब प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि पर उसका का कोई अतिकमण नहीं होना एवं 36 वर्ष पूर्व उक्त स्थान गैमु. रास्ता का नाप चौप होने पर उसका निर्माण व कब्जा आदि सही पाये गये और प्रकरण खारिज किया गया और वह उसी समय के फैसले अनुसार ही कायम है। मौके पर रास्ता चालू होना है। यह भी निवेदन किया है कि मौका स्थिति का नाप चौप टीम गठित करवाकर करवा सकते है। 36 वर्ष पूर्व के प्रकरण में हुई कार्यवाही व निपटारा की प्रमाणित प्रतियां लेकर साक्ष्य सहित जबाब पेश करने के लिए 15 दिवस के समय की मांग की। शिकायतकर्ता बाबूलाल निवासी चेनार द्वारा जानबूझकर परेशान करने की नियत से शिकायते की जा रही है, जिसके लिए उसके द्वारा 10.08.2020 को तहसील कार्यालय में खेतों का सीमाज्ञान करवाकर राहत व न्याय प्रदान करने बाबत भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होना बताया है। उक्त संबंध में यह कि अपीलान्ट के अपने उक्त कथनों के अनुसार 36 वर्ष पूर्व उक्त गैर मुमकिन रास्ता का नाप चौप किये जाने के संबंध में हस्तगत अपील के साथ कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किये है, जबकि अपीलान्ट चाहता तो उसके पास अधिनस्थ न्यायालय से निर्णय पारित होने के पश्चात भी पर्याप्त समय रहा है वह अपील के समय भी साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता था। इसके अतिरिक्त 36 वर्ष पूर्व की नाप चौप रिपोर्ट का हस्तगत अतिकमण की कार्यवाही से किसी प्रकार से कोई संबंध में नही हो सकता है, क्योंकि 36 वर्ष पूर्व यदि कोई अतिकमण नहीं रहा था, तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 17:44:11 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

उसके आधार पर अब वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, यह तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। पटवारी हरीमा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम हरीमा के खसरा नम्बर 760 गैर मुमकिन रास्ते की 0.18 बीघा भूमि पर बाड़ा व मकान बनाकर अतिक्रमण किया है, जिस पर सन्देह का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील के माध्यम से भी ऐसी कोई ठोस साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में हस्तक्षेप किया जा सके। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर,नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 17:44:11 IST
Reason: SelfAttested